(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 92 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 419**

1. अनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार शर्मा उम्र 48 साल जाति ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. लीलु सिंह पुत्र नत्थु सिंह उम्र 70 साल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. शिवकुमार पुत्र सत्यनारायण उम्र 45 साल जाति महाजन निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

...........**वादीया**

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. जगमाल सिंह पुत्र नत्थु सिह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. तीजा देवी पत्नी जगमाल सिंह जाति कुम्हार निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. निजामुदीन पुत्र ईमामुदीन जाति कायमखानी निवासी बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0
5. प्रमिला देवी पत्नी राजपाल सिंह जाति जाट निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. बैकं ऑफ बडौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबंधक महोदय तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.............प्रतिवादीगण

दावा बाबत— खाता विभाजन एवं नाम दुरूस्ती

—:निर्णयः— दिनांकः— 27/12/24

(1). **वादी का वादपत्र रहा किः—**

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 431 के खसरा नम्बर 856 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में वादीया सख्या 1 का 2 / 43 हिस्सा वादी सख्या 2 का 306029 / 645000 हिस्सा तथा वादी सख्या 3 का 11 / 129 हिस्सा भूमि का रिकार्डड खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे कास्त है शेष हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 कब्जे कास्त है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 92 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 419**

अनिता देवी आदि **बनाम** कान्ता देवी आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 3 ओर से **श्री अकिंत यादव एडवोकेट** की उपस्थिती व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 431 के खसरा नम्बर 856 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि का एवं वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि के खाता संख्या 365 के खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी सख्या 2 का 1/2 हिस्सा का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। व खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी सख्या 2 का नाम लीला सिहं पुत्र नत्थु सिंह के स्थान पर लीलु सिंह पुत्र नत्थु सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)